

दिनांक 03.07.2026 को जिलाधिकारी महोदय, बोंदा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में जल जीवन मिशन के तहत बिछायी गयी पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 03.07.2026 को जल जीवन मिशन के "हर घर जल, नल से जल" के अन्तर्गत जनपद बांदा में जल जीवन मिशन के तहत बिछायी गयी पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बोंदा, जिला पंचायत राज अधिकारी, बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, 2 एवं प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं बिछायी गयी पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय, बोंदा द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये :-

- 1- बैठक में महाप्रबन्धक, चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान बांदा, व अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान द्वारा जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में संचालित 11 पेयजल योजनाओं को जल निगम (ग्रामीण), बांदा को हस्तगत के सम्बन्ध में वार्ता की गई, जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण बांदा द्वारा अवगत कराया गया कि 11 में से 05 योजनाएं क्रमशः जसपुरा, कानाखेड़ा, खण्डेह, बडेहा तथा विन्ध्यवासिनी पेयजल योजनाओं का हस्तान्तरण 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण करा लिया जाएगा। शेष 06 योजनाओं में सतही स्रोत के माध्यम से पेयजलापूर्ति संचालन हेतु पाइपलाइन व गृह जल संयोजन सक्रिय होने के कारण भूमिगत आधारित योजना का हस्तान्तरण संभव नहीं है इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त 06 योजनाओं का जल जीवन मिशन की योजनाओं में दैनिक उपयोग की स्थिति हेतु जाँच कर 15 दिवस के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान बांदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा)।

- 2- बैठक में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग, बोंदा के कार्यरत 03 खण्डों द्वारा 08 विकासखण्डों में वर्तमान में कुल 38 जगहों पर पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया, जिससे कुल 38 ग्रामों (सूची संलग्न) में पेयजलापूर्ति विगत कई सप्ताह से पूर्ण/आंशिक रूप से बाधित है। इस पर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बोंदा द्वारा विभिन्न स्थलों पर कम गहराई सम्बन्धी जानकारी दी गयी, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दोनों विभागों को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर पाइप के उपर एक मीटर कवर होने की दशा में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड/ठेकेदार द्वारा अतिशीघ्र कराये जाने हेतु एवं जिन स्थलों पर पाइप के उपर एक मीटर से कम गहराई होगी। उक्त स्थल पर जल जीवन मिशन की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मरम्मत तत्काल कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन स्थानों पर पाइप के उपर मिट्टी निकालकर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त किये जाने के प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बोंदा को तत्काल मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया है एवं भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के दौरान कम से कम स्थलों पर पाइप लाइन व गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त कर मार्ग चौड़ीकरण कराये जाने व क्षतिग्रस्त होने पर कम से कम समय में मरम्मत कार्य पूर्ण कर यथाशीघ्र बाधित पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित किया जायें।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, 2 एवं प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बोंदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा)

- 3- अधिशासी अभियन्ता, केन प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, बोंदा द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत विकासखण्ड बिसण्डा, महुआ एवं नरैनी में नहर चौड़ीकरण के 12 स्थलों पर पूर्व निर्मित पुलिया को तोड़कर नये ढंग से निर्मित कराये जाने के दौरान विभिन्न पुलियों पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने व पाइप लाइन निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार न बिछे होने सम्बन्धी सूचना दी गयी, के सम्बन्ध में अधिशासी

अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लाइन बिछाने के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुपालन कराया गया है, किन्तु जहाँ सम्भव नहीं था, उस स्थल पर ही पाइप लाइन पुलिया के उपर से बिछायी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दोनों विभागों को पुलिया तोड़ने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण कर पाइप लाइन शिप्टिंग/बेड लेवल से नीचे बिछाकर क्षतिपूर्ति कम से कम करते हुये पेयजलापूर्ति प्रभावित न होने पाये सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड/केन-बेतवा लिंक परियोजना, सिचाई विभाग, बोंदा/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा)

- 4- जनपद बोंदा के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजलापूर्ति हेतु जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद के समस्त ग्रामों के समस्त मजरो/पुरवों/बस्ती/आबादी वाले हिस्से में पाइप लाइन बिछायी गयी है। वर्तमान में ग्रामों में जिला/ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के विकास हेतु नाला/नाली/पुल/पुलिया का कार्य कराये जा रहे हैं, जिसके निर्माण के दौरान 60 ग्रामों के कियाशील पाइप लाइन एवं गृह जल संयोजन को क्षतिग्रस्त की सूचना प्राप्त उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, बोंदा को जल निगम (ग्रामीण) से 60 ग्रामों की वॉछित सूचना का आदान-प्रदान व आपसी समन्वय स्थापित कर नियम-शर्तों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया। यहा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षतिपूर्ति कम से कम समय में पूर्ण कर यथाशीघ्र बॉधित पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित किया जाये। साथ जिन ग्रामों में पेयजलापूर्ति ग्रामीणों द्वारा बगैर टोटी, बैस धुलने आदि में किया जा रहा है, उसके रोकथाम हेतु ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव/पंचायत सहायक के माध्यम से सूचना प्रकाशित कराकर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराये।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बोंदा, जिला पंचायत राज अधिकारी, बोंदा/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा)

- 5- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बोंदा में खटान तथा अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना में दिन के समय केवल 04-05 घंटे विद्युत आपूर्ति होने के कारण विभिन्न ग्रामों में सांय की पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। पीक आवर प्रातः 06:00 से 09:00 बजे व सांय 04:00 बजे से 06:00 बजे तक विद्युत की कटौती विभिन्न ग्रामों में की जा रही है, जिससे कतिपय ग्रामों के अन्तिम हिस्सों में पेयजलापूर्ति नहीं पहुच रहा है। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि खटान ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत मुख्य सी०डब्ल्यू०आर० कमशः छिलोलर, आऊ, जरोहरा, शाहपुरसानी, सौतास्यौदा, बण्डे एवं अनधुवा पर लो-वोल्टेज विद्युत आपूर्ति होने के कारण 175 ग्रामों में अनियमित रूप से पेयजलापूर्ति की जाती है, किन्तु उक्त सभी स्थलों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न होने से पिछले 50 दिनों से सभी 175 ग्रामों में पेयजलापूर्ति बॉधित है, जिस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थिति अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बोंदा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विद्युत लाइन में फाल्ट एवं अतिरिक्त लोड होने के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, माह अगस्त, 2026 में नयी विद्युत लाइन बिछाकर उक्त समस्या का स्थाई समाधान करा दिया जायेगा। बैठक में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, बोंदा को अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम शहूरपुर, सोनरही, अमलीकौर तथा पतवन में होने वाले विद्युत फाल्ट का मरम्मतकीकरण सूचना मिलने के 02 घण्टे के अन्दर प्रत्येक दशा में कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं उक्त पर लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित पर कार्यवाही हेतु भी निर्देश दिये गये हैं। खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत लो-वोल्टेज वाले 04 नग सी०डब्ल्यू०आर० स्थलों पर अतिशीघ्र स्टैबलाईजर लगाकर त्वरित समाधान हेतु कार्यदायी संस्था मैसर्स एल०एण्ड०टी० लि०, बोंदा को निर्देशित किया गया। साथ ही अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना के झुन्नी डेरा व अन्य 02 ग्रामों में पोल अधिष्ठापन के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त करने व मरम्मत न करने पर भी भविष्य में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अधोहस्तारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बोंदा को जनपद अन्तर्गत विभिन्न स्थलों का पोल अधिष्ठापन से पूर्व दोनों विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण उपरान्त कार्य कराना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार का पेयजल योजना संचालन में व्यवधान

उत्पन्न न हों। यहाँ यह भी सुनिश्चित कर लिया जायें कि क्षतिपूर्ति कम से कम समय में पूर्ण कर यथाशीघ्र बंधित पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित किया जायें।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बॉदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा)

- 6- मुख्यमंत्री संदर्भ/ऑनलाईन पोर्टल/समाधान दिवस पर प्राप्त होने वाली पेयजल सम्बन्धी शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा में पाया गया कि मैसर्स एल०एण्ड०टी० लि०, बॉदा द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत कुल 573 आई०जी०आर०एस० लम्बित है, जिसके सम्बन्ध में ओ०एण्ड०एम० इंचार्ज श्री धनशेखरन द्वारा अवगत कराया गया है कि 250 शिकायत विजली व्यवस्था, लो-वोल्टेज प्राप्त होने के कारण वर्तमान तक सम्भव नहीं हुआ है। 125 शिकायत नये कनेक्शन की माँग, 148 नग लीकेज/चोकेज एवं 18 स्थलों पर रोड पुनर्स्थापन सहित अवशेष 32 अन्य तत्सम्बन्धी शिकायतें हैं, जिनके समाधान हेतु कार्य स्थल पर कुल 41 टीमें कार्यरत हैं। मैसर्स एन०सी०सी० लि०, बॉदा द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत कुल 673 आई०जी०आर०एस० लम्बित है, जिसके सम्बन्ध में ओ०एण्ड०एम० इंचार्ज श्री द्विव्याशू द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया है कि 260 शिकायत विजली व्यवस्था, लो-वोल्टेज प्राप्त होने के कारण वर्तमान तक सम्भव नहीं हुआ है। 230 शिकायत नये कनेक्शन की माँग, 203 नग लीकेज/चोकेज/रोड रेस्टोरेशन की शिकायतें हैं, जिसके समाधान हेतु कुल 25 नग टीमें कार्यरत हैं एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा द्वारा अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु नामित फर्म मैसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि०, महाराष्ट्र के डी०पी०एम० श्री प्रभात द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत 330 शिकायतें नये कनेक्शन की माँग/लीकेज/चोकेज/रोड रेस्टोरेशन की शिकायतें हैं, जिसके समाधान हेतु कुल 20 नग टीमें कार्यरत हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यरत सभी फर्मों द्वारा उक्त लम्बित शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान हेतु कुशल कार्मिकों की टीम बॉधित मात्रा में बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही कार्यरत टीमों में रैंकिंग की व्यवस्था लागू करने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया तथा भविष्य में होने वाली समीक्षा बैठक में उपरोक्त रैंकिंग व्यवस्था में निम्न रहने वाले फ्रील्ड इंजीनियर/सुपरवाइजर पर सुधार हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बॉदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा)

बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल सम्बन्धी किसी भी समस्या से बचाव हेतु आपसी तालमेल, बॉधित सूचना/कार्ययोजना/ड्राइंग का समय-समय पर आदान-प्रदान, डैमेज कंट्रोल जल जीवन मिशन वाट्सएप ग्रुप में आये हुये मैसेज को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्ता-परक निस्तारण करना, क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति का सम्बन्धित ठेकेदार से क्षतिपूर्ति कर विभागीय योजना का पूर्ण क्षमता पर सुचारु व सफल संचालन कराना सुनिश्चित करें।


(अमित आसेरी)
जिलाधिकारी
बॉदा
o/c

कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा

पृष्ठांकन संख्या-651/M-19/09 / दिनांकित 20/07/2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियंता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
- 5- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बांदा।
- 6- अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बांदा को इस निर्देश के साथ कि ग्रामीण पेयजल योजना के संचालन के दौरान उत्पन्न बाँधाओं का निस्तारण सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से कराना सुनिश्चित करें।
- 7- मे० एल० एण्ड टी० लि० बांदा/मे० एन०सी०सी० लि०, बांदा/ मे० ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड, महाराष्ट्र को बैठक में दिये गये अक्षरसः अनुपालन कराते हुए पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ हेतु।


जिलाधिकारी
बांदा

01/08